न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 19/2024

राजस्थान सरकार जरिये नीरज कुमार जैन, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर।

........प्रार्थी

बनाम

मैसर्स हरिओम चाट भण्डार
गोल चक्कर, केसरगंज, अजमेर
श्री हरिओम खण्डेलवाल पुत्र बद्री नारायण खण्डेलवाल
बंदकुए वाली गली, अलवर गेट अजमेर पुलिस थाना अलवर गेट

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्री नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी – पैरोकार सरकार
श्री हरिओम अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 30.07.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 27.05.2024 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार गेस सिलेण्डरो के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग/घरेलू सिलेण्डरो के अवैध रूप से रोकने के अभियान के तहत जांच दल मैसर्स हरि ओम चाट भण्डार, गोल चक्कर केसरगंज अजमेर पर पहुॅचे ।

उक्त स्थान पर फर्म द्वारा एक मुश्त 100 किग्रा एलपीजी से अधिक एलपीजी का भण्डारण बिना विस्फोटक अनुज्ञप्ति के किया जाना पाया जो कि एलपीजी रूल्स तथा एलपीजी आदेश 2000 की धाराओ का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर मौके से 08 एलपीजी सिलेण्डर मय 108.6 किग्रा एलपीजी राज्य हित में जब्त किया गया । मौके पर श्री प्रकाश खेतावत पुत्र पूरन चन्द खेतावत, ख्वाजा गैस एजेन्सी अजमेर को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने पर सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार पाया गया ।

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	18994	BPCL	19.4	32.0	12.6
[illegible]	96757	BPCL	19.2	38.4	19.2
3	54990	BPCL	19.1	38.3	19.2
4	18212	BPCL	19.2	38.4	19.2
5	37184	BPCL	19.3	38.5	19.2

जिला कलक्टर
अजमेर

6	37261	BPCL	18.7	37.2	19.2
T0tal					108.6

सिलेण्डर को श्री प्रकाश खेतावत पुत्र पूरन चन्द खेतावत, ख्वाजा गैस एजेन्सी अजमेर को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुर्पुदगी में दिए गए जिसका सुपुर्दगीनामा अलग से लिखा गया । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तशुद्वा 06 गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आये । अतः प्रकरण में सुनवाई किए जाने बाबत निवेदन किये जाने पर पेरोकार सरकार को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 27.05.2024 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर एक मुश्त 100 किग्रा एलपीजी से अधिक एलपीजी का भण्डारण बिना विस्फोटक अनुज्ञप्ति के किया जाना पाया जो कि एलपीजी रूल्स तथा एलपीजी आदेश 2000 की धाराओ का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर मौके से 06 एलपीजी सिलेण्डर मय 108.6 किग्रा एलपीजी राज्य हित में जब्त किया गया । अतः कब्जेराज लिये गये 6 गैस सिलेण्डरों को राजसात फरमाया जावें।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की जानकारी के अभाव मं किया गया जिसकी जानकारी अप्रार्थी को नही थी।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच दिनांक 27.05.2024 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर एक मुश्त 100 किग्रा एलपीजी से अधिक एलपीजी का भण्डारण बिना विस्फोटक अनुज्ञप्ति के किया जाना पाया जो कि एलपीजी रूल्स तथा एलपीजी आदेश 2000 की धाराओ का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर मौके से 08 एलपीजी सिलेण्डर मय 108.6 किग्रा एलपीजी राज्य हित में जब्त किया गया । अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में कृत्य स्वीकार किया गया है। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 27.05.2024 के अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये 6 गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। अतः जिला रसद अधिकारी अजमेर उक्त सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
अजमेर